न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 02/2024 बउनवानी आशिफ इकबाल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 , निवासी E-163 West Vin. od Nagar, Delhi- 110092 Parwati Niwas
GCMS No-2024/2

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

15.2.2024

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. विशेष विवाह अधिनियम,1954 के सेक्शन 5/13 के अन्तर्गत सम्पन्न हुए विवाहो की संख्या
2. विशेष विवाह अधिनियम,1954 के सैक्शन 5/16 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए विवाहों की संख्या

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार ने लोक सूचना अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(1)(77)/सूकाअ/2023/51 दिनांक 16.01.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2023 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक/सू.का.अ/न्याय/2023/4470 दिनांक 28.11.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 को भिजवायी जाने पर लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक/एफ.13(1)(87)/सूकाअ/ 2023/ 2917 दिनांक 30.11.2023 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2023 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2917 दिनांक 30.11.2023 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फै[illegible] एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:36 IST
Reason: SelfAttested

(डा0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner